श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 29-04-2015 को समाहरणालय सभा कक्ष में अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक के साथ आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही

जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21-04-2015 को रात्रि में आये चक्रवाती तूफान एवं ओलावृष्टि से मधेपुरा जिला भी प्रभावित हुआ था। इसके पूर्व माह मार्च, 2015 में असमय हुई तेज वर्षा /ओलावृष्टि से गेहूँ की फसल का नुकसान हुआ था। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उक्त प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत राशि /अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। गृह /पशु /मानव /फसल क्षति के लिए मुख्य तौर पर राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। सभी प्रकार की राशि चेक के माध्यम से ही प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर चेक निर्गत होने में आनेवाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु यह बैठक आयोजित की गई है।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि चेक के माध्यम से राहत राशि वितरण कराने में निम्नांकित समस्यायें हैं अथवा हो सकती हैं :-

- बैंकों में पर्याप्त संख्या में चेक बुक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण राहत राशि वितरण करने में कठिनाई हो रही है।
- वर्त्तमान में चक्रवातीय तूफान से बुरी तरह प्रभावित मुरलीगंज तथा बिहारीगंज प्रखंडों में गृह क्षति तथा अनुग्रह अनुदान की राशि चेक के माध्यम से प्रभावित परिवारों को दिया जाना है। अंचल अधिकारी, मुरलीगंज का सरकारी खाता भारतीय स्टेट बैंक, मुरलीगंज में संधारित है, जहाँ पर्याप्त संख्या में चेकबुक उपलब्ध कराने से शाखा प्रबंधक द्वारा इंकार कर दिया गया। इसी प्रकार की समस्या बिहारीगंज में भी है।
- दो-तीन दिन के बाद जिले के सभी प्रखंडों में फसल क्षति-गेहूँ /मक्का /उद्यानिक फसल की राशि वितरित किया जायेगा। यह राशि भी RTGS/ NEFT के माध्यम से किसानों को भुगतान करने का आदेश है।
- जिले में अभी भी काफी संख्या में किसानों का बैंक खाता नहीं खुला है, जिसके लिए चेक की आवश्यकता होगी।
- चेक द्वारा भुगतान में भी फर्जीवाड़ा के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, फलस्वरूप खाता धारक का नाम, पिता /पति का नाम /ग्राम का नाम का मिलान प्रखंडों /अंचलों द्वारा प्रेषित बैंक / एड्वाईस/ चेक से करने की आवश्यकता होगी।
- पर्याप्त मात्रा में बैंकों के चेस्ट में राशि नहीं होने पर ग्राहकों द्वारा हो-हंगामा /विधि-व्यवस्था की समस्या हो सकती है।
- ग्राहकों द्वारा राशि की निकासी करने तथा ले जाने के क्रम में असमाजिक तत्वों द्वारा छीना-झपटी, ले भागना इत्यादि की घटनाएं घट सकती है।

उपरोक्त समस्याओं पर चर्चा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आपदा की स्थिति में त्वरित गति से पीड़ित परिवारों तक राशि उपलब्ध कराने में बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है। बैंकों द्वारा बेहतर सेवा प्रदान करने का यही मौका है। जिस बैंक द्वारा पर्याप्त संख्या में चेकबुक उपलब्ध करायी जायेगी, उसी बैंक में राशि जमा करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी बाध्य होंगे। अतएव सभी बैंकों के जिला समन्वयक अपने-अपने शाखाओं के शाखा प्रबंधक को यह निदेशित करें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी द्वारा चेकबुक की अधियाचना पर तत्काल चेक उपलब्ध करा दें। इसके लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा सभी बैंकों के जिला समन्वयक को अपने उपर के अधिकारियों से भी सम्पर्क स्थापित कर वर्णित स्थिति की सूचना देने का अनुरोध किया गया। मुरलीगंज तथा बिहारीगंज प्रखंडों में स्थित बैंकों में तत्काल चेकबुक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाय, ताकि गृह क्षति से पीड़ित परिवारों को अनुदान की राशि उपलब्ध कराया जा सके। मुरलीगंज में केनरा बैंक की शाखा द्वारा चेक उपलब्ध कराया गया है, फलस्वरूप अंचलाधिकारी द्वारा बाध्य होकर केनरा बैंक, मुरलीगंज में बैंक खाता खोलना पड़ा है। केनरा बैंक के जिला समन्वयक द्वारा कहा गया है कि अतिरिक्त चेकबुक भी अधियाचना पर उपलब्ध करा सकते हैं। इसी प्रकार इंडियन बैंक द्वारा भी चेकबुक उपलब्ध कराने की सहमति दी गई है।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि फसल क्षति की राशि का वितरण जिले के सभी प्रखंडों में दो से तीन दिनों में प्रारंभ होने वाला है। फसल क्षति की राशि, किसानों के खाते में RTGS/ NEFT के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी। वैसे किसान जिनका बैंक खाता नहीं है उन्हें चेक के माध्यम से भुगतान किया जायगा। RTGS/ NEFT के माध्यम से राशि हस्तान्तरण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बैंक एड्वाईस भेजे जाने पर खाते में पोस्टिंग करने वक्त खाताधारक का नाम, पिता /पति का नाम, ग्राम का नाम का मिलान एड्वाईस सूची से कर लिया जाय, ताकि किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़ा का गुंजाईश न हो। यदि बैंक खाता संख्या अथवा नाम, पता आदि में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो तत्काल इसकी जानकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दी जाय ताकि त्रुटि का निराकरण अविलंब हो सके और किसानों के खाते में राशि का हस्तान्तरण अविलंब किया जा सके। इस प्रकार एड्वाईस सूची से अस्वीकृत /रिजेक्ट होनेवाले सभी किसानों की सूची प्रतिदिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे अविलंब सुधार कर बैंक भेजा जा सके।

उपस्थित सभी जिला समन्वयकों को यह भी कहा गया कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का खाता जिस बैंक में है, उस बैंक द्वारा अपने बैंक के साथ-साथ अन्य सभी बैंकों में (जिस-जिस बैंक में लाभुक का खाता है, सभी में) ऑनलाईन RTGS/ NEFT करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में इन्कार नहीं करेंगे।

जिलाधिकारी द्वारा शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा के मुख्य शाखा से पूछा गया कि आपके चेस्ट में नगद राशि का पर्याप्त भंडार है अथवा नहीं। उनके द्वारा बताया गया कि जिले के सभी बैंकों को उनके द्वारा अधियाचित राशि, ससमय उपलब्ध करा दिया जायगा। सभी बैंक, जिनके यहाँ प्रखंड कार्यालय द्वारा फसल क्षति मद का खाता खुलवाया गया है, वे पूर्व में ही प्रखंड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर कुल भुगतेय राशि की गणना कर लें तथा उतनी राशि का भंडारण अपने चेस्ट में अवश्य रखें। साथ ही यह जानकारी भी प्राप्त कर लें कि कितने लाभुकों के खाते में RTGS/ NEFT के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जायगी तथा कितने लाभुकों को चेक द्वारा राशि

उपलब्ध करायी जायेगी। तद्नुरूप उतनी संख्या में चेकबुक की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित करें। पर्याप्त राशि नहीं रहने पर लाभुकों को बैंक से वापस खाली हाँथ लौटना पड़ सकता है, फलस्वरूप विधि-व्यवस्था की समस्या से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि वे अपने स्तर से जिले के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को यह भी सन्देश दें कि वे अपने शाखा में सुरक्षा व्यवस्था का पर्याप्त प्रबंध रखें तथा सी0सी0टी0भी0 कैमरा भी इन्स्टाल करावें ताकि बैंक में या बैंक से बाहर निकलते वक्त पैसे छीनने की कोई घटना घटित न हो। साथ ही बैंकों में आनेवाले बिचौलियों पर भी पर्याप्त नजर रखी जाय। कोई भी बिचौलिया किसी दूसरे के नाम पर राशि का उठाव नहीं कर पाये इसके लिए फसल क्षति अनुदान की राशि निकासी करनेवाले किसानों का चेहरा तथा हस्ताक्षर का मिलान बैंक में उपलब्ध अभिलेख से अवश्य किया जाय।

जिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि तकनीकी /प्रबंधन कॉलेजों में नामांकन अब शुरू होनेवाला है। फलतः शिक्षा ऋण की राशि प्रदान करने में तत्परता बरती जाय एवं सही आदमी को ही शिक्षा ऋण दिया जाय। वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग द्वारा सूचना दी गयी कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक द्वारा 21-04-2015 के बाद से ही आज तक लिंक फेल होने का बहाना बनाकर राशि वितरण नहीं किया जा रहा है, जबकि लोगों से जमा स्वीकार किया जा रहा है। बैठक में भी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक उपस्थित थे। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा से कहा गया कि उनसे सम्पर्क स्थापित कर तत्काल समस्या का निराकरण करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1205 /गो0 मधेपुरा दिनांक 30/04/2015

प्रतिलिपि :- वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग /जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा /सभी बैंकों के जिला समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी /अपर समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन /उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज /पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना /आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /प्रभारी सचिव, मधेपुरा /प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

30/04/15
जिलाधिकारी
मधेपुरा।